

महोदय/Gentlemen,

रेंज-I, मण्डल-VI के अधीक्षक का कार्यालय OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF RANGE-I, DIVISION-VI केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH



सातवाँ तल, बी. डी. पटेल हाउस, सरदार पटेल की मूर्ति के पास, नाराणपुरा, अहमदाबाद - 380014 7th FLOOR, B. D. PATEL HOUSE, NEAR SARDAR PATEL STATUE, NARANPURA, AHMEDABAD - 380014

फ़ोन/Phone : 079-27683574 ई-मेल/E-Mail : gstdivision6@gmail.com

फा.सं.	/ F. No	दिनांक/Date:
чи.√п.	/ T. NO	IGHI9/Date

फॉर्म जीएसटीआर-3ए / FORM GSTR - 3A [नियम 68 देखिये / See rule 68] डीआईएन/DIN.....

नेवा में,
मेसर्स/M/s
जीएसटीएन/GSTN
पता / Address:
ईमेल / Email
मोबाइल / Mob

विषय : रिटर्न फाइल नहीं करने पर धारा 46 के तहत रिटर्न डिफॉल्टर को नोटिस Subject:-Notice to return defaulter u/s 46 for not filing return

> कर अवधि / Tax Period – January-2022 रिटर्न का प्रकार / Type of Return –GSTR-3B

एक पंजीकृत करदाता होने के नाते, आपको की गई या प्राप्त की गई आपूर्ति के लिए आपके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है और नियत तारीख तक उपरोक्त कर अवधि के लिए परिणामी कर देयता का निर्वहन करना आवश्यक है । यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी दाखिल नहीं की है।

Being a registered taxpayer, you are required to furnish return for the supplies made or received and to discharge resultant tax liability for the aforesaid tax period by due date. It has been noticed that you have not filed the said return till date.

- 2. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विवरणी को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर इस कार्यालय में उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री के आधार पर अधिनियम की धारा 62 के तहत कर देयता का निर्धारण किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त, आप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज और दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। You are, therefore, requested to furnish the said return within 15 days failing which the tax liability may be assessed u/s 62 of the Act, based on the relevant material available with this office. Please note that in addition to tax so assessed, you will also be liable to pay interest and penalty as per provisions of the Act.
- 3. कृपया ध्यान दें कि दायित्व के आकलन के लिए आगे कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी।
 Please note that no further communication will be issued for assessing the liability.
- 4. यदि ऊपर निर्दिष्ट विवरणी, निर्धारण आदेश जारी करने से पहले आपके द्वारा दाखिल की जाती है, तो नोटिस को वापस ले लिया गया माना जाएगा।

The notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the assessment order.

अधीक्षक, सीजीएसटी Superintendent, CGST रेंज-....., मण्डल-VI Range-...., Division-VI